



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 14/2025/D-102

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 9992 दिनांक 01/10/2019 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	PHULA DEVI MOHAN LAL SHARMA	श्री वासुदेव किशोरदास एच.यू.एफ. कर्ता श्याम वी नैनानी जरिये मु.आ. श्री सुमेर सिंह बोथरा	63			KAMDHENU NAGAR Sector/Block-	Name Transfer	योजना कामधेनू नगर के भूखण्ड संख्या 63 क्षेत्रफल 271.66 व.ग. की लीजडीड श्री वासुदेव किशोरदास एच.यू.एफ. कर्ता श्याम वी नैनानी जरिये मु.आ. श्री सुमेर सिंह बोथरा के पक्ष में दिनांक 20.07.2004, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2004, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2004 द्वारा उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 271.66 व.ग. में से आधा हिस्सा उत्तरी भाग क्षेत्रफल 135.83 व.ग. पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2011 एवम दिनांक 05.06.2014



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. PHULA DEVI MOHAN LAL SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।